## ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

...संख्या :–39 / 2019 | दायर दिनांक: 08.04.2019

...NO:- 2019/00324

...अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बिरधीलाल पुत्र खाना जाति माली निवासी खोढीतहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. प्रभूलाल पुत्र खाना जाति माली निवासी खोढी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. किशन गोपाल पुत्र खाना जाति माली निवासी खोढी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

– वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति माली निवासी खोढी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. बलू पुत्र नन्दा जाति माली निवासी खोढी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

——प्रतिवादीगण

**वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी एक्ट**

उपस्थितिः–

वादीगण के अभिभाषक श्री महावीर कारपेन्टर।

निर्णय दिनांक 12.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खोढी पटवार हल्का जजावर तहसील नैंनवां के जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या नया, पुराना 100 के खसरा सं. 1676 रकबा 00–01 बीघा, खसरा संख्या 1814 रकबा 03–01 बीघा, खसरा संख्या 1815 रकबा 00–04 बीघा, खसरा संख्या 1816 रकबा 01–06 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 04–12 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि कृषि भूमि के सहखातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 एवं वादीगण के पिता खाना मृतक एवं वादीगण के सगे चाचा मन्ना मृतक पुत्र भोलू जाति माली है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 1/3 के सहखातेदार मन्ना जी जो वादीगण के सगे चाचा जी है, जो अविवाहित थे जिनके कोई सुलभी औलाद नही थी इसलिए चाचा मन्ना जी वादीगण के पास जन्म से ही रहते थे एवं मन्ना जी की सेवा सुश्रषा, भरण पोषण ईलाज इत्यादि भी वादीगणों ने ही किया। चाचा मन्ना जी के जीवन काल में भी मन्ना जी के खातेदारी की कृषि भूमि मकान इत्यादि पर वादीगण काबिज है एवं चाचा मन्ना जी के हिस्से की भूमि पर वादीगण ही करीबन 50 वर्षो से काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादीगण के चाचा मन्ना जी दोनो पैरों से अपंग थे जिनका देहावसान 03.02.2003 को हो गया है। मृतक मन्ना जी के देहावसान के बाद सारा क्रियाक्रम इत्यादि सब वादीगण ने ही किया है एवं पगडी वादी संख्या 1 बिरधीलाल के बन्धी थी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार वादीगण के चाचा मन्ना जी की मृत्यु के समय वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 से मृतक मन्ना जी का कियाकम इत्यादि शामिल में करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मृतक मन्ना का कियाकम करने से साफ मना कर दिया एवं समाज के मौतबिरान व्यक्तियों की मौजूदगी मे मृतक मन्ना जी की कृषि भूमि एवं मकान इत्यादि की सारी सम्पत्ति का मोल भाव करके अपने हिस्से की आधी रकम 32604 रूपये दिनांक 08.02.2003 को ही वादीगण से नगद प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने प्राप्त कर लिये एवं बैचान पत्र की लिखा पढी प्रतिवादीगण ने वादीगण [illegible] कर दी थी जिसमें भी लिखी हुई है कि मृतक मन्ना जी की चल अचल सम्पत्ति में प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 [illegible] किसी प्रकार का उज्र हक एंव अधिकार नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)



दस्तखत ...... उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादीगण मृतक मन्ना जी की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति के अधिकारी होंगे। उक्त लिखा पढी पर वादीगण 1 लगायत 2 व गांव एवं समाज के मौतबिरान व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 द्वारा दिनांक 08.02.2003 को मृतक मन्ना की सम्पत्ति का उस दिन के हिसाब से मोल भाव करके अपने हिस्से के रूपये वादीगण से नगद प्राप्त कर लेने से मृतक मन्ना की सम्पत्ति में हित समाप्त कर चुके है। वादीगण बतौर खातेदार कृषक प्रतिवादीगण के ज्ञान में लगातार खेती करते चले आ रहे है इसलिए कब्जा मुखालफनामा से भी वादीगण खातेदार कृषक की हैसियत प्राप्त कर चुके है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में मृतक मन्ना के हिस्से में बतौर वादीगण लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से प्रतिवादीगण के ज्ञान में बतौर खातेदार कृषक खेती काश्त करते चले आने से मृतक मन्ना के हिस्से 1/3 की आराजी ग्राम खोढी को वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे किवह वादीगण के शान्तिपूर्वक चले आ रहे है कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी नकल 2071–74, नकल लिखा पढी पचों एवं समाज के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा 08.02.2003, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र मन्ना व खाना, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक याचना स्वीकार फरमाया जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व इकबाली जवाब दावा का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम खोढी पटवार हल्का जजावर तहसील नैनवां के जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या नया 100, पुराना 100 के खसरा सं. 1676 रकबा 00–01 बीघा, खसरा संख्या 1814 रकबा 03–01 बीघा, खसरा संख्या 1815 रकबा 00–04 बीघा, खसरा संख्या 1816 रकबा 01–06 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 04–12 बीघा कृषि आराजी पर मृतक मन्ना के हिस्से 1/3 की आराजी को वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के शान्तिपूर्वक चले आ रहे है कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में अमल दरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:19:00 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner